आदेश

सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या **279/F/14/XVIII-(2)/15(32)/A/2013** दिनांक 18–2–2014 के अनुकम में जिलाधिकारी चमोली एतद्संदर्भित आदेश संख्या – र–4263 / तेरह–25(2012––2013) गोपेश्वर दिनांक 19 फरवरी 2014 जिसके द्वारा दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण एवं मरोम्मत कार्यो हेतु परगना स्तर पर उप जिलाधिकारी को परियोजना कियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) जो विशेष पुनर्निमाण इकाई " से ज्ञात है, को मुख्य कार्य अधिकारी नामित किया गया है।

योजनाओ के प्रकलनों पर पी0आई0क्यू0 की संस्तुति के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार प्राकलनों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	*कार्य का विवरण*	*स्वीकृत लागत (लाख में)*	*अवमुक्त धनराशि* **(80%)** *(लाख मे)*	*कार्यदायी संस्था*	*कार्य की आवश्यकता / महत्व*
1	2	3	4	5	6
1	सिमली में पेयजल योजना मरम्मत कार्य	4.40	3.52	अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर	पेयजल की आवश्यकता हेतु
2	कर्णप्रयाग में पेयजल योजना में मरम्मत कार्य	3.62	2.90	अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर	पेयजल की आवश्यकता हेतु
3	झिरकोटी सिचाई नहर मरम्मत कार्य	3.00	2.40	अधि0अभि0 [redacted] सिंचाई खण्ड चमोली	सिचाई की आवश्यकता को देखते हुए
4	श्री शिवलाल के मकान के पास रास्ता एवं दीवार पुर्न निर्माण हेतु	3.38	2.70	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कर्णप्रयाग	रास्ते की नितान्त आवश्यकता को देखते हुए
5	मोन्टेना लॉज के नीचे क्षतिग्रस्त दीवार एवं रास्ता पुनः निर्माण कार्य	2.11	1.68	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कर्णप्रयाग	रास्ते की नितान्त आवश्यकता को देखते हुए
6	अपर बाजार पार्किंग के नीचे नाला पुर्ननिर्माण कार्य	4.99	3.96	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कर्णप्रयाग	नाला पुर्ननिर्माण कार्य हेतु
7	गौचर सिदोली मोटर मार्ग मरम्मत कार्य	4.96	3.96	अधिशासी अभि0 अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	जन हित में
8	देवली वगड मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत कार्य	1.92	1.53	अधिशासी अभि0 अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	जन हित में
9	मजखोला, ढमढमा, बरतोली मोटर मार्ग मरम्मत कार्य	4.12	3.29	अधिशासी अभि0 अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	जन हित में
10	सारी झूला पुल मरम्मत कार्य	2.77	2.21	अधिशासी अभि0 अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	जन हित में

11	उत्तरौ के स्वका मार्ग का पुस्ता एवं पैदल मार्ग मरम्मत कार्य	1.50	1.2	खण्ड विकास अधिकारी कर्णप्रयाग	जन हित में
12	चमतोली से क्षेत्रपाल पेयजल योजना मरम्मत कार्य	2.00	1.6	खण्ड विकास अधिकारी कर्णप्रयाग	पेय जल की समस्या को हेतु
13	तल्ला जैटी पेयजल योजना मरम्मत कार्य	1.00	0.80	खण्ड विकास अधिकारी कर्णप्रयाग	पेय जल की समस्या को हेतु
14	कोल्सौ सिचाई गूल मरम्मत कार्य	5.80	4.64	अधिशासी अभियन्ता लघु सिचांई गोपेश्वर	सिचाई हेतु
15	जैटी कोटी हाईड्रम योजना मरम्मत कार्य	1.30	1.04	अधिशासी अभियन्ता लघु सिचांई गोपेश्वर	सिचाई हेतु
	योग–	*46.87*	*37.43*		

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1– उक्त प्रस्तावित कार्यो पर 25.00 लाख (पच्चीस लाख) तक के कार्य वर्क के आधार पर सम्पादित किये जायेगे। 25.00 (पच्चीस लाख) से 100.00 लाख (एक करोड) तक के कार्यो हेतु निविदा आमन्त्रित की जायेगी एवं उपरोक्त निविदा की अवधि 07 दिन की होगी।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता एवं तकनीकी मानको का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था गुणवत्ता के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

3– कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य न्यूनतम अवधि से पूर्ण कर लिया जायेगा।

4– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त कार्य / योजना की फोटो उपलब्ध करा दी जायेगी ताकि कार्य की सत्यता की प्रमाणीकरण किया जा सकें।

5– किये गये कार्य का भुगतान करने से पूर्व मानकानुसार कार्य की नाम जोख एवं गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उस धनराशि को तत्काल मुख्य कार्य अधिकारी (पी0आई0यू0) के खाते में एक सप्ताह अन्दर जमा करना आवश्यक होगा।

6– आगणन में उल्लिखित दरो का विशलेषण सम्बन्धित विभाग के तकनीकी अभियन्ता से दरो की प्रमाणिकता अवश्य करा ली जाय।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि रखते हुए प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो के आंगणन सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– वर्कचार्ज पर कार्य दिये जाने से पूर्व ठेकेदार की क्षमता का आंकलन भालि भांति कर लिया जाय।

9– कार्यो का आवंटन इस प्रकार किया जाय कि स्वीकृति सभी कार्यो पर कार्य प्रारम्भ साथ–साथ किया जाय तथा समय से सभी कार्य पूर्ण हो सकें।

10– प्रत्येक योजना पर 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा मेजरमैन्ट बुक , किये गये कार्य के फोटोग्राफस तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

11– कार्य पूर्ण होने पर कार्ययोजना का नाम, लागत,दिनांक तथा मद का नाम,सीमेन्ट,कॅकीट / बोर्ड पर अंकित किया जायेगा, जिसकी पुष्टि से फोटोग्राफ की प्रस्तुत किये जायेगें।

मुख्य कार्याधिकारी (पी0आई0यू0)
उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।

कार्यालय मुख्य कार्याधिकारी पी0आई0यू0 / उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग।

संख्या : 06 / ना0ना0– परियोजना कियान्वयन इकाई / 2013–14 / दिनांक: 25 फरवरी 2014

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर / अधि0अभि0प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0गौचर / अधि0अभि0 लघु सिचाई खण्ड चमोली / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कर्णप्रयाग / खण्ड विकास अधिकारी कर्णप्रयाग ।

2– तहसीलदार कर्णप्रयाग।

3– सदस्य पी0आई0यू0, खण्ड विकास अधिकारी कर्णप्रयाग / उप कोषाधिकारी कर्णप्रयाग / सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0गौचर / सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग कर्णप्रयाग।

4– मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग।

5– जिलाधिकारी चमोली।

6– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।

7– जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र चमोली को बेवसाइट पर अपलौड करने हेतु ।

मुख्य कार्याधिकारी (पी0आई0यू0)
उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।